कार्यालय कलेक्टर(भू.संसाधन प्रबंधन)जिला राजगढ़ म0प्र0

क्रमाक / 1407 / 17 / भू.सं.प्रं. / स्था0 / 2025 राजगढ दिनांक 22 / 12 / 2025

प्रति,

तहसीलदार
समस्त
जिला राजगढ़ म0प्र0

विषयः— पटवारियो को मिलने वाला भत्ते के अतिरिक्त एग्रीस्टैक भत्ता प्रदाय करने के संबंध मे ।

संदर्भः— म. प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल का परिपत्र क्रमांक 1063 / 997 / 2022 / सात 5 दिनांक 01.10.2023 एवं आयुक्त भू—अभिलेख म.प्र. का पत्र क्रमांक 1063 / **MPLRS** 2025 दिनांक 16.06.2025

——000——

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश पत्र द्वारा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के द्वारा पटवारियो को मिलने वाला भत्ते के अतिरिक्त एग्रीस्टैक भत्ता की प्रतिमाह रूपये 4000/— देने की स्वीकृत प्रदान की गई है । जिले मे कार्यालयीन कार्य से संलग्न किये गये पटवारियो द्वारा अवगत कराया गया है कि उन्हें एग्रीस्टेक भत्ता प्रदाय नही किया जा रहा है ।

अतएवं एग्रीस्टैक भत्ते का भुगतान कार्यरत समस्त पटवारियो को नियमानुसार किया जावे एवं उपरोक्त भत्तो का भुगतान वेतन शीर्ष के अंतर्गत 008 अन्य व्यय से किया जावे ।

संलग्न :— शासन आदेश

अपर कलेक्टर
जिला राजगढ़ म0प्र0

पृ. क्रमाक / 1407 / 17 / भू.सं.प्रं. / स्था0 / 2025 राजगढ दिनांक 22 / 12 / 2025

प्रतिलिपि :—

1— आयुक्त भू.संसाधन प्रबंधन म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।

2— अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त जिला राजगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

अपर कलेक्टर
जिला राजगढ़ म0प्र0

मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल दिनांक 01/10/2023

क्रमांक 1063/997/2022/सात-5, राज्य शासन एतद द्वारा पटवारियों को मिलने वाले भत्तो के अतिरिक्त, एग्रीस्टैक भत्ता प्रतिमाह रूपये 4000/- देने तथा अतिरिक्त हल्का भत्ते में बढ़ोत्तरी करते हुए रूपये 500/- के स्थान पर प्रतिमाह रूपये 1000/- करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश मंत्रि-परिषद में लिये गये निर्णय जिसका आयटम क्रमांक 48 दिनांक 26 सितम्बर 2023 के पालन में जारी किया गया।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(दिनेश कुमार मौर्य)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ0 क्रमांक 1064/997/2022/सात-5,
भोपाल, दिनांक 01/10/2023

प्रतिलिपिः-

1/ विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, राजस्व विभाग।
2/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय।
3/ प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय म0प्र0 भोपाल ।
4/ निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग ।
5/ महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर म0प्र0।
6/ आयुक्त, भू-अभिलेख मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
7/ आयुक्त, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल ।
8/ समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश।
9/ समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश।
10/ गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

राजस्व भवन, नाका चन्द्रवदनी विवेकानन्द नीडम रोड, ग्वालियर-474002;
ई-मेल:mp-lrs@mp.gov.in / clrgwa@nic.in

क्रमांक/1061 /MPLRS/2025 भोपाल दिनांक-16 /06/2025

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- राजगढ़
मध्यप्रदेश

विषय- Agristack भत्ता दिए जाने के सम्बन्ध में|
सन्दर्भ:- म.प्र शासन राजस्व विभाग मंत्रालय का आदेश क्रमांक 1063/997/2022/सात-5 भोपाल दिनांक 01/10/2023 |

----------00000-----------

विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश का अवलोकन हो, उपरोक्त के सम्बन्ध में लेख है कि, श्री क्षितिज रैक्रपर्ण तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ में पटवारी के पद पर पदस्थ है| अपर आयुक्त भू-अभिलेख ग्वालियर के आदेश पत्र क्रमांक 251/स्था.एक/पु.लि/283360/2024, दिनांक 09/10/2024, द्वारा इनका संलग्नीकरण कार्यालय मध्यप्रदेश भू-अभिलेख प्रबंधन समिति भोपाल में हुआ है| उक्त आदेश के पालनार्थ से श्री रैक्रपर्ण दिनांक 12/11/2024 से कार्यालय मध्यप्रदेश भू-अभिलेख प्रबंधन समिति भोपाल में कार्यरत होकर अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहे है| इनका वेतन आहारण तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ से किया जा रहा है| परन्तु संदर्भित आदेशानुसार वेतन के साथ मिलने वाला Agristack भत्ता इन्हें प्रदान नहीं किया जा रहा है| कार्यालय मध्यप्रदेश भू-अभिलेख प्रबंधन समिति में संलग्न अन्य सभी पटवारियों को उनके पदस्थापना जिलों द्वारा उपरोक्त भत्ता दिया जा रहा है|

अत: श्री क्षितिज रैक्रपर्ण उक्त के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें|

संलग्न:- 02 उपरोक्तानुसार

16/6/25

आयुक्त भू-अभिलेख, सह
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश भू-अभिलेख प्रबंधन समिति
भोपाल मध्यप्रदेश